कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 152/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 21.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना – जीयनपुर | दिनांक – 21.04.2026

• मेडिकल स्टोर से ₹20,000 की चोरी का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• अभियुक्त के कब्जे से ₹15,000 नकद, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

दिनांक 17.04.2026 को वादी जावेद अख्तर पुत्र स्व0 बदरूद्दीन निवासी अंजान शहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा उनके आफाक मेडिकल स्टोर के कैश काउंटर से ₹20,000 चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0170/2026 धारा 305 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य द्वारा की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 21.04.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आए अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ आकाश सिंह पुत्र रामाकर सिंह निवासी ग्राम किशुनपुरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष एवं अभियुक्ता अन्तिमा सिंह पुत्री स्व0 तेजबहादुर सिंह निवासी उपरोक्त उम्र करीब 31 वर्ष को बागखालिस से बक्खोपुर जाने वाले मार्ग से समय करीब 03:55 बजे गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के ₹15,000 नकद बरामद हुए तथा अभियुक्त अभिषेक सिंह के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी की गई है। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. अभिषेक सिंह उर्फ आकाश सिंह पुत्र रामाकर सिंह निवासी ग्राम किशुनपुरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष
2. अन्तिमा सिंह पुत्री स्व0 तेजबहादुर सिंह निवासी ग्राम किशुनपुरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 31 वर्ष

बरामदगी—

₹15,000/- (नकद), 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 0170/2026 धारा 305/317(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
मु0अ0सं0 0179/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास—

अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ आकाश सिंह

1. मु0अ0सं0 0170/2026 धारा 305/317(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 0179/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 0174/2024 धारा 380/411 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 0072/2024 धारा 380/411/413 भादवि थाना मधुबन जनपद मऊ

5. मु0अ0सं0 0090/2024 धारा 419/420/475/482 भादवि व 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ
6. मु0अ0सं0 081/2020 धारा 147, 323, 352, 504, 506 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 0376/2022 धारा 379/411 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

अभियुक्ता अन्तिमा सिंह

1. मु0अ0सं0 0170/2026 धारा 305/317(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 0142/2014 धारा 323/427/452/504/506 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 0379/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 0169/2017 धारा 380 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 0442/2025 धारा 115(2)/118(1)/324(4)/351(3)/352 BNS थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य, उ0नि0 अमित कुमार वर्मा, म0उ0नि0 गीतांजली यादव, हे0का0 रविन्द्र कुमार सिंह, का0 अवधेश कुशवाहा, का0 अक्षय प्रसाद एवं म0का0 अर्चना कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

थाना – कोतवाली | दिनांक – 21.04.2026

• रोडवेज क्षेत्र में महिला का चैन काटने वाली 04 अभियुक्ताएं गिरफ्तार

• चालाकी से घटना को अंजाम देने वाली गिरोह की महिलाओं से चैन व नकदी बरामद

दिनांक 20.04.2026 को वादिनी श्रीमती चन्द्रवती देवी पत्नी स्व0 प्रभुनाथ सिंह चौहान निवासी पुरादुर्जन राम थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गई कि वह अपने दामाद के साथ दवा लेने जा रही थीं, तभी रोडवेज के पास ऑटो में सवार चार महिलाओं द्वारा धोखे से उनके गले का चैन काट लिया गया। घटना के समय एक महिला द्वारा भ्रमित करने हेतु नाटक किया गया, जिससे वादिनी घबरा गईं और इसी दौरान अन्य महिलाओं ने चैन चोरी कर लिया। शोर मचाने पर वादिनी के साथ मौजूद व्यक्तियों एवं स्थानीय लोगों की सहायता से चारों महिलाओं को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 174/2026 धारा 303(2)/317(2) BNS पंजीकृत किया गया।

पूछताछ में अभियुक्ताओं द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया है। उन्होंने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से ऑटो में बैठकर यात्रियों को भ्रमित कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देती हैं। साथ ही पूर्व में भी सठियांव क्षेत्र में इसी प्रकार की घटना को अंजाम देकर जेवरात व नकदी चोरी कर बेचने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के कब्जे से 01 अदद पीली धातु की चैन व ₹2000/- नकद बरामद हुआ है। अभियुक्ताओं के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तागण—

1. शीला देवी पुत्री सीताराम निवासी सिधुआपार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. गुड्डी पत्नी मुन्नु निवासी लखनपारा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
3. काजल पत्नी करन निवासी लखनपारा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
4. संजना पत्नी परवाना कुमार निवासी लखनपारा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी—

01 अदद पीली धातु की चैन, ₹2000/- नकद

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 174/2026 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

उ0नि0 सूर्यपाल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

थाना – मुबारकपुर | दिनांक – 21.04.2026
• जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
• प्लाटिंग विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट, घायल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई

दिनांक 19.04.2026 को थाना मुबारकपुर पर उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ल की तहरीर के आधार पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन के किनारे स्थित त्रिदेव ग्रुप प्लाटिंग स्थल, ग्राम सठियांव के पास दो पक्षों के बीच हिस्सेदारी व निवेश के विवाद को लेकर गाली-गलौज के साथ मारपीट एवं जानलेवा हमला करने की घटना प्रकाश में आई। दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर लाठी-डंडों व ईंट से हमला किया गया, जिसमें सत्यानन्द चौबे व विकास चौबे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में कराया गया। घटना के संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 146/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 125 BNS व 7 CLA एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 20.04.2026 को विवेचना के दौरान उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा जिला चिकित्सालय आजमगढ़ पहुंचकर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. सत्यानन्द चौबे पुत्र स्व0 कतवारू चौबे निवासी ग्राम कुर्थी जाफरपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ एवं 2. विकास चौबे पुत्र सर्वानन्द चौबे निवासी ग्राम कुर्थी जाफरपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को समय करीब 19:50 बजे विधि सम्मत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. सत्यानन्द चौबे पुत्र स्व0 कतवारू चौबे निवासी ग्राम कुर्थी जाफरपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ
2. विकास चौबे पुत्र सर्वानन्द चौबे निवासी ग्राम कुर्थी जाफरपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ

गिरफ्तारी का स्थान/समय—

जिला चिकित्सालय आजमगढ़, समय 19:50 बजे, दिनांक 20.04.2026

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 146/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 125 BNS व 7 CLA एक्ट थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।